369

संख्याः- 587 / VI(1) / 2014–03(47) / 2005 टी0सी0

प्रेषक,

सचिन कुर्वे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2014

विषयः–जनपद टिहरी में निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह सुनहरी गाड़ के पुनरीक्षित आगणन पर पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–521 / 2–6–561 / 2013–14, दिनांक 31 जनवरी, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–276 / VI / 2006–03(47) / 2005, दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा स्वीकृत योजना **'सुनहरी गाड़ (टिहरी) में 20 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह के निर्माण'** हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 66.55 लाख के उपरान्त अब उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन ₹ 138.30 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत **धनराशि ₹ 111.57 लाख** (₹ 106.99 लाख सिविल कार्यो हेतु तथा ₹ 4.58 लाख अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत) की पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 66.55 लाख के उपरान्त अब अवशेष धनराशि ₹ 45.02 लाख (₹ पैंतालीस लाख दो हजार मात्र) संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

i. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

ii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

iv. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री की प्रयोग में लायी जाये।

v. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

...2

vi. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

vii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

ix. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संवर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–पर्यटन विकास की चालू योजनायें–24–वृहत्त निर्माण कार्य के बी0एम0–09 में उल्लिखित मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–783/XXVII(2)/2014, दिनांक 7 मार्च, 2014 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S1403260295 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।

संख्याः– 587 /VI(1)/2014–03(47)/2007 टी0सी0, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, टिहरी।
6– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी।
7– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।